



मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड
(मध्य प्रदेश शासन का उपक्रम)

पंजीकृत कार्यालय: निष्ठा परिसर, गोविंदपुरा भोपाल (मध्य प्रदेश)-462023

हेल्पलाईन नंबर : 91-9406913705, 91-0755-2551222, 2554400

वेबसाइट : Sankalp.mpcz.in/NSC ई-मेल आई.डी. krishisankalp.mpcz@gmail.com

कृषि संकल्प आवेदन फार्म

प्रति,

पासपोर्ट आकार
का फोटो यहां
चिपकाएं व
क्रास हस्ताक्षर
करें।

महोदय,

मैं/हम, मेरे/हमारे परिसर के विद्युत संयोजन हेतु आवेदन करता हूँ/करते हैं।
/करती हूँ/आवश्यक जानकारी निम्नानुसार प्रस्तुत है:

1. उपभोक्ता (जिसके नाम पर कनेक्शन चाहिए है) की मूलभूत जानकारी :

- (i) क्या आधार क्रमांक उपलब्ध है? हॉ/नहीं
- (ii) आधार नंबर : _____
- (iii) आवेदक का नाम(हिन्दी में) : _____
- (iv) पिता/पति का नाम : _____
- (v) मोबाईल : _____
- (vi) ईमेल आई.डी. : _____
- (vii) जन्म तिथि : _____
- (viii) लिंग : _____
- (ix) वर्ग : (अन्य पिछडा वर्ग/अनुसूचित जाति/जन जाति/सामान्य
गरीबी रेखा के नीचे/ग्रीन कार्ड/अन्य
- (x) वर्ग प्रकार गरीबी रेखा के नीचे/ग्रीन कार्ड/अन्य
- (xi) पहचान प्रमाण पत्र का प्रकार मतदाता पहचान पत्र/मान्य पासपोर्ट/राशन कार्ड
/ड्राईविंग लाइसेंस/बिजली का बिल/ पेन कार्ड
/अन्य
- (xii) पहचान प्रमाण पत्र नं. : _____

- (xiii) पते के प्रमाण पत्र का प्रकार : मतदाता पहचान पत्र / मान्य पासपोर्ट / राशन कार्ड / ड्राईविंग लाइसेंस / बिजली का बिल / पेन कार्ड / अन्य
- (xiv) पते के प्रमाण पत्र का नं. : _____

2. विद्युत संयोजन कनेक्शन का पता:—

- (i) खसरा / पट्टा क्रं. (जहाँ पम्प लगाया जाना है) : _____
- (ii) खसरा / पट्टा का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) : _____
- (iii) बी 1 / खतौनी पुस्तिका क्रं. : _____
- (iv) बी 1 / खतौनी के अनुसार उपभोक्ता के कब्जे की भूमि का रकवा (हेक्टेयर में) _____
- (v) कॉलोनी / क्षेत्र : _____
- (vi) जिला : _____
- (vii) ब्लॉक : _____
- (viii) पंचायत / जोन : _____
- (ix) वार्ड / ग्राम : _____
- (x) पिनकोड : _____
- (xi) निकटतम 11 के.व्ही. लाइन का नाम : _____

3. पत्राचार का पता:

- (i) खसरा क्रं. / प्लॉट क्रं. / मकान क्रं. : _____
- (ii) कॉलोनी / क्षेत्र : _____
- (iii) राज्य : _____
- (iv) जिला : _____
- (v) ब्लॉक : _____
- (vi) पंचायत / जोन : _____
- (vii) वार्ड / ग्राम : _____
- (viii) पिनकोड : _____

4. बैंक खाते का विवरण

- (i) बैंक का नाम : _____
- (ii) आई.एफ.एस.सी. कोड : _____
- (iii) खाता क्रं. : _____

क्या कोई विद्युत बकाया राशि देय है

: हां/नहीं

/4/

4. क्या परिसर के नक्शे (मानचित्र) में, विद्युत की खपत के संबंध में परिसर की सीमाओं को स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है

: हां/नहीं

5. मैं/हम एतद् द्वारा यह घोषणा करता हूँ/ करते हैं कि

(अ) उपरोक्त प्ररूप में दिया गया विवरण मेरी/हमारी जानकारी के अनुसार सत्य है।

(ब) मैं/हम ने म.प्र. विद्युत प्रदाय संहिता की विषयवस्तु को पढ़ लिया है एवं उसमें उल्लिखित शर्तों का पालन करने के लिए सहमत हूँ/ हैं।

(स) मैं/हम प्रयोज्य विद्युत टैरिफ व अन्य प्रभारों के आधार पर विद्युत देयको की राशि का भुगतान प्रति माह करूंगा/करेंगे।

(द) मैं/हम मापयन्त्र (मीटर), कट आउट एवं संलग्न स्थापना की सुरक्षा एवं संरक्षण उत्तरदायित्व लेता हूँ/ लेते हैं।

(ई) मैं/हम ने आवेदन प्ररूप के साथ सूची के अनुसार सभी आवश्यक अभिलेख संलग्न कर दिये हैं

: हां/नहीं

(यदि ऐसा नहीं किया गया है तो कृपया कारण सहित विवरण संलग्न करें)

संलग्न:- 01. पासबुक की प्रतिलिपी
02. पहचान पत्र की प्रतिलिपी
03. पते के पहचान की प्रतिलिपी

दिनांक : _____

आवेदक/प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर

स्थान : _____

टीप :- आवेदन के साथ निम्नलिखित अभिलेख संलग्न करें :-

1. परिसर के स्वामित्व/कानूनी अधिभोग (occupancy) संबंधी प्रमाण।
2. संयंत्र (प्लांट)/कार्यालय के प्रस्तावित स्थल एवं प्रस्तावित विद्युत प्रदाय के बिन्दु को दर्शाता हुआ मानचित्र। उच्चदाब संयोजन हेतु मानचित्र का माप सामान्यतः 1 से.मी. =1200 से.मी. के अनुपात को प्रदर्शित करने वाला होना चाहिए।

3. यदि आवश्यक हो तो वैधानिक अधिकारी से अनुज्ञप्ति (लायसेंस)/अनापत्ति प्रमाण-पत्र या आवेदक का घोषणा-पत्र कि उसके संयोजन के लिये किसी प्रकार की वैधानिक अनुमति की आवश्यकता नहीं है।
4. आवेदक यदि स्वयं की संस्था के लिये विद्युत संयोजन चाहता हो तो एक शपथ पत्र जिसमें यह उल्लेख किया गया हो कि उक्त संस्था का वह स्वयं स्वामी है।
5. भागीदारी संस्था के मामले में भागीदारी संबंधी अभिलेख की प्रमाणित प्रतिलिपि।
6. मर्यादित (लिमिटेड) कंपनी के मामले में संस्था की ज्ञापन-पत्र आदि नियमावली एवं स्थापना प्रमाण-पत्र की प्रति (Memorandum and Articles of Association and Certificate of Incorporation)
7. कृषि उपभोक्ताओं के मामले में खसरा/बही की नकल संलग्न की जाए।
8. आवेदक/उपभोक्ता के स्थायी निवास के पते का प्रमाण एवं आवेदक/उपभोक्ता का आयकर विभाग का स्थायी लेखा क्रमांक (पैन), यदि कोई हो। भविष्य में स्थायी निवास के पते में परिवर्तन होने पर आवेदक/उपभोक्ता अनुज्ञप्तिधारी को तत्काल इसके बारे में सूचना देनी होगी।
9. औद्योगिक संयोजन हेतु, उत्पादन/उत्पादन में वृद्धि के लिए आशय-पत्र (Letter of Intent)।
10. प्रस्तावित उपकरणों की सूची, अपेक्षित भार दर्शाते हुए।
11. जहां संयोजन फर्म, लिमिटेड/प्रायवेट लिमिटेड फर्म, कम्पनी आदि के नाम से चाहा गया हो, के प्राधिकार के संबंध में सकल्प पत्र (रेसाल्यूशन)
12. उद्योग विभाग का पंजीकरण प्रमाण-पत्र, जहां यह लागू हो।
13. परियोजना प्रतिवेदन का वह भाग, जो उद्योग की विद्युत आवश्यकताओं तथा प्रसंस्करण की प्रक्रिया से संबंधित हो (उद्योगों के प्रकरण में)।
14. चालू टैरिफ आदेश के सुसंबद्ध उद्धरण की प्रतिलिपि जो उपभोक्ता द्वारा चयनित विद्युत-दर श्रेणी का विवरण दर्शाती हो, को यथाहस्ताक्षरित संलग्न किया जाए। औपचारिकताएं पूर्ण होने पर इसे अनुबंध का भाग मानते हुए अनुबंध के परिशिष्ट के रूप में संलग्न किया जाएगा।